BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 434 OF 2025

IN THE MATTER OF

AKSHAY TIWARI ..APPLICANT

VERSUS

DIRECTOR DEFENCE OFFICIALS
WELFARE ORGANIZATION & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGES
1.	REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.4 "YEIDA"	1-6
2.	**ANNEXURE R/1:** TRUE COPY OF THE NOTICE DATED 01.01.2026 SENT BY THE ANSWERING RESPONDENT TO THE LAND OWNER, SHRI BHAGWAN SINGH;	7-8
3.	**ANNEXURE R/2:** TRUE COPY OF THE REPLY DATED 12.01.2026 SUBMITTED BY THE LAND OWNER TO THE NOTICE DATED 01.01.2026 SENT BY THE ANSWERING RESPONDENT;	9

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि०

S.NO	PARTICULARS	PAGES
4.	**ANNEXURE R/3:** TRUE COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 02.02.2026 CONDUCTED BY THE ANSWERING RESPONDENT;	10
5.	**ANNEXURE R/4:** TRUE COPY OF THE FORMAL REPORT SUBMITTED BY THE CONCERNED TEHSILDAR/DEPONENT HEREIN TO THE OFFICER ON SPECIAL DUTY (OSD), YEIDA.	11

RESPONDENT NO.4

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

THROUGH

PLACE: NEW DELHI
DATE: 22.04.2026

(ABHAY KUMAR TAYAL)
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO.4

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 434 OF 2025

IN THE MATTER OF

AKSHAY TIWARI ..APPLICANT

VERSUS

DIRECTOR DEFENCE OFFICIALS WELFARE ORGANIZATION & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.4

I, Manoj Kumar Singh, S/o Late Sh. C.B Singh, aged about 52 years, presently working as Tehsildar in Yamuna Expressway Industrial Development Authority, First Floor, Block B, Commercial complex, Block P-2, Sector Omega-1, Greater Noida, District Gautam Budh Nagar, U.P presently in New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

1. That I am working as the Tehsildar in the office of the Respondent No.4 (herein after referred as answering Respondent) in the above-mentioned Application and I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and hence competent to swear this affidavit.

2. That it is submitted that Respondent No.4 is a statutory body constituted under the U.P Area Industrial Development Act, 1976 with an objective to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban township and for matters connected therewith. Section 10 of the Act of 1976

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17506/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
Appointed by Govt. of India

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

2

empowers the Authority to intervene in the upkeep and usage of properties within its jurisdiction to ensure they do not become a nuisance or a hindrance to regional development. The said section reads as under: -

> *"Section 10. If it appears to the Authority that the conditions or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of or the amenities in any part of the industrial development area or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.*

3. ***FACTS IN NUTSHELL:***

a. That the land bearing Khasra No. 139, Mauza Arua Khadar, Tehsil Mant, District Mathura, U.P (hereinafter referred to as "subject land") is the notified Industrial Area of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/answering Respondent. The said notification was issued on 22.08.2001.

b. That in the month of March, 2025, the Applicant made a complaint to the answering Respondent for unauthorized and illegal construction on the subject land and accordingly, the answering Respondent conducted a joint inspection of the subject land on 16.04.2025. During the said inspection, it is found that some unauthorized

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17830/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
Appointed by Govt. of India

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

construction has been done on the subject land, which in the revenue records is registered in the name of Shri Bhagwan Singh, S/o Shri Chunni Lal. The A copy of Joint inspection report is filed along with the complaint at page No. 158.

c. Subsequently, a Show Cause Notice dated April 22, 2025, was served upon the landowner, Shri Bhagwan Singh, S/o Shri Chunni Lal. The notice directed the recipient to either demolish the unauthorized construction in question or to appear in person to submit a formal written explanation. A copy of the said notice is filed along with the complaint at page No. 159-160.

d. The landowner failed to comply with the initial directive to remove the unauthorized construction. As a result, a formal notice for unauthorized construction and demolition was served to Shri Bhagwan Singh, S/o Shri Chunni Lal, on January 1, 2026. A response to this notice was subsequently filed by the landowner on January 12, 2026. A true copy of the Notice dated 01.01.2026 sent by the answering Respondent to the land owner, Shri Bhagwan Singh is annexed herewith as **<u>Annexure R/1.</u>**

e. That the land owner, in his reply, has stated that he is the sole owner and possessor of the subject land. He further

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Expires on 20.12.2029
Appointed by Govt. of India

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

4

contends that the said property has been utilized as Abadi (residential settlement) since 2008, and that he has been continuously residing on the subject land with his family since that time. A true copy of the reply dated 12.01.2026 submitted by the land owner to the Notice dated 01.01.2026 is annexed herewith as **Annexure R/2.**

f. That in his reply, the landowner failed to provide any legal justification for changing the land use without the prior mandatory permission of the Authority, thereby acting in direct contravention of the mandate of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976. In light of this non-compliance, a subsequent joint inspection of the subject site was conducted by the answering respondent, which confirmed that the landowner had failed to remove the unauthorized construction despite having been given sufficient opportunity to do so. A true copy of the inspection report dated 02.02.2026 is attached herewith as **Annexure R/3.**

g. That upon receipt of the landowner's reply, the concerned Tehsildar/Deponent submitted a formal report to the Officer on Special Duty (OSD), YEIDA/answering Respondent. The report clarifies the following points:

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17606/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
by Govt. of India

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

- Jurisdiction: The subject land falls strictly within the notified area of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA).
- Statutory Violation: The landowner has acted in violation of the mandate set forth under the U.P. Industrial Area Development Act, 1976.
- Unauthorized Land Use: The landowner has changed the nature of the land use without obtaining prior mandatory permission from YEIDA.
- Validity of Notice: Consequently, the Tehsildar maintains that the notice dated 01.01.2026 is legally sound and fully backed by the prevailing rules and regulations.

A true copy of the formal report submitted by the concerned Tehsildar/deponent herein to the Officer on Special Duty (OSD), YEIDA/answering Respondent is attached herewith as **Annexure R/4.**

4. That no para-wise reply has been filed by the answering Respondent and the answering respondent seeks liberty to file a detailed para-wise reply, if so, directed by this Hon'ble Court.

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17800/2019
My Commission
Expire on 20/12/2029
Appointed by Govt. of India

DEPONENT

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे ...

6

VERIFICATION:-

I, Manoj Kumar Singh, S/o Late Sh. C.B Singh, aged about 52 years, presently working as Tehsildar in Yamuna Expressway Industrial Development Authority, First Floor, Block B, Commercial complex, Block P-2, Sector Omega-1, Greater Noida, District Gautam Budh Nagar, U.P presently in New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the above Affidavit in Paragraph Nos.01 to 04 are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Hence, verified at New Delhi, on this 21 APR 2026 day of April, 2026.

DEPONENT

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

Identified the deponent who has signed in my presence

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
(INDIA)

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17806/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
Appointed by Govt. of India

21 APR 2026

ANNEXURE-R/1 7

कार्यालय सक्षम अधिकारी

पत्रांक वाई0ई0आई0डी0ए0 / सक्षम अधिकारी / 1042 / 2026 दिनांक 01 / 01 / 2026

शिकायत / वाद सं0– 508 / 2025

अन्तर्गत धारा–10

उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976, ध्वस्तीकरण नियमावली विनियम–4 (1)

मौजा– अरूआ खादर

परगना–मॉट

तहसील–मॉट

जिला–मथुरा

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण .... शिकायतकर्ता / वादी

बनाम

श्री भगवान सिंह उर्फ रामवीर पुत्र चुन्नीलाल निवासी–मांट राजा तहसील मांट, जिला मथुरा।

....प्रतिवादी

नोटिस

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भूलेख विभाग की सम्यक् रूप से अभिलिखित आधारों पर प्रेषित आख्या दिनांक 16–04–.2025 से मुझे प्रतीत हुआ है कि खसरा संख्या–139 क्षेत्रफल 1.0110हे0, भूमि स्थित ग्राम अरूआ खादर, परगना मॉट, तहसील मॉट, जिला–मथुरा के अन्तर्गत प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त के खसरा स0–139 के भू–भाग पर मकान बनाकर अवैध नव निर्माण कर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके कारण प्राधिकरण की आगामी कार्य योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। प्रतिवादी का उक्त प्रकार का कृत्य धारा–10 की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

ग्राम अरूआ खादर परगना मॉट, तहसील मॉट, जिला–मथुरा (उ0प्र0) Yeida के अन्तर्गत अधिसूचित है। Yeida की अधिसूचित भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के प्रतिवादी द्वारा मकान बनाकर अवैध नव निर्माण कर भू उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है।। कृषि भूमि मकान बनाकर अवैध नव निर्माण किये जाने के कारण सुनियोजित विकास पर प्रतिकूल तथा प्राधिकरण द्वारा संसाधनों के विकसित करने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उपरोक्त कृत्य जो ग्राम अरूआ खादर परगना मॉट, तहसील मॉट, जिला–मथुरा (उ0प्र0), जो कि उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 की धारा–09 का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की बिना पूर्वानुमति के मकान बनाकर अवैध नव निर्माण कर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है, जो प्राधिकरण के नियमों के विरूद्ध है। उपरोक्त भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है।

(1) ग्राम अरूवा खादर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का शासन की अधिसूचना सं0 3877 / 77–4–2001–03(एन) / 2001, दिनांक 22–08–2001के अन्तर्गत अधिसूचित ग्राम है।

(2) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट की धारा–2(डी) प्राधिकरण के अधिसूचित / अधिग्रहीत क्षेत्र पर लागू हो चुकी है।

मनोज कुमार सिंह

तहसीलदार

8

उक्त निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण) विनियम के विनियम सं0–1 सपठित धारा–9, उ0प्र0 औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के उपबन्धों के उल्लंघन में कराया गया है, और कराया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में भी सुनियोजित विकास में बाधा पड़ेगी तथा सामान्य जन का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
प्राधिकरण के पत्रांकः वाई.ई.आई.डी.ए / सक्षम अधि0 / 582 / 2025 दिनांक 22.04.2025 द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया था परन्तु आप द्वारा अवैध निर्माण की गतिविधियां बंद नहीं की गयी है।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरलिखित गतिविधियों को तुरन्त बन्द कर दें और उक्त अवैध निर्माण को हटा लें, अन्यथा दिनांक 16–01–2026 को अपरान्ह 1.30 बजे कार्यालय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, कामर्शियल काम्पलेक्स, ब्लाक–पी–2, सेक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी–201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) में उपस्थित होकर लिखित में कारण बतायें कि क्यों न उक्त निर्माण प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करा दिया जाय और इस ध्वस्तीकरण का व्यय आप से भू–राजस्व की भॉति वसूल कर लिया जाय। आप स्वयं या अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये उपस्थित हो सकते हैं।

सक्षम अधिकारी / विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण
ग्रेटर नौएडा, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

(T.C)

ANNEXURE - R/2

वाद सं० 508/2025 अरूआ खादर 526

सेवा में,

सक्षम अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नौएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो. वि. प्राधिकरण डायरी सं. 12 JAN 2026 31773 सी० आर० सेल (सम्पत्ति)

वाद सं0–508/2025, अर्न्तगत धारा 10 उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनयम 1976, धवस्तीकरण निमावली विनमय–4(1), ग्राम अर्रूआ खादर परगना माट तहसील तहसील माट जिला मथुरा उ0प्र0।

विषय वाद संख्या 508/2025 धारा 10 यमुना औ0वि0प्रा0 बनाम भगवान सिंह उर्फ रामबीर के प्रेषक आपके पत्रांक 1042/2026 दिनांक 01/01/2026 के सम्बन्ध मे प्रतिउत्तर दिये जाने के विषय में ।

महोदय,

1. उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी भगवान सिंह उर्फ रामबीर पुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी मांट कृष्क ग्राम अर्रूआ खादर के गाटा सं0–139, क्षे0–1.011 हे0 भूमि का मालिक व काबिज है।
2. ग्राम अर्रूआ खादर के खसरा सं0–139/1.011 हे0 भूमि के सम्बन्ध मे आपके द्वारा दिनांक 01/01/2026 को नोटिस जारी कर आरोपित किया गया है, प्रार्थी/वादी द्वारा खसरा सं0–139, के भू–भाग पर मकान बनाकर अवैद्य नवनिर्माण कर भू उपयोग परिर्वतन किया जा रहा है जिसके कारण प्राधिकरण के आगामी योजनाओ पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की सम्भावना है।
3. ग्राम अर्रूआ खादर खसरा सं0–139, क्षे0–1.011 हे0, भूमि पर 2008 से पुर्व आबादी बनाई गयी है।त
4. उक्त जिलाधिकारी मांट जनपद मथुरा के वाद सं0–21, तारिक फैसला 02/08/2008 जारा–143, ज0वि0आ0 के अनुसार गाटा सं0–139, क्षे0–1.011 हे0 मे आबादी घोषित किया गया है।
5. स्थल पर कोई नवनिर्माण नही किया जा रहा है, बलकि पुरानी आबादी है जाहं पर प्रार्थी/वादी का परिवार निवास कर रहा है।

अतः श्रीमान श्री से अनुरोध है कि उक्त गाटा सं0–139, क्षे0–1.011 हे0 स्थित ग्राम अर्रूआ खादर को मोके की जांच करा कर नोटिस दिनांक 01/01/2026 निरस्त कराने कि कृपा करें।

भगवान सिंह

प्रार्थी

दिनांक :–12/01/2026

भगवान सिंह उर्फ रामबीर पुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी मांट कृष्क ग्राम अर्रूआ खादर, परगना व तहसील मांट, जिला मथुरा उ0प्र0।

मनोज कुमार सिंह

ANNEXURE - R/3

10

ग्राम–अरूवा खादर की खसरा संख्या–139 का स्थलीय निरीक्षण आख्या

महोदय,

आज दिनांक 02.02.2026 को ग्राम अरूवा खादर तहसील मांट जनपद मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या–139 रकबा 1.0110 हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि पर भगवान सिंह उर्फ रामबीर पुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी मांट राजा तहसील मांट जिला मथुरा द्वारा कालौनी काटकर अवैध निर्माण/भू–परिर्वन किया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण के सुनियोजित विकास पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उक्त के सापेक्ष पूर्व में धारा–10 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है, जिसके उपरांत भी उक्त के द्वारा अवैध निर्माण को बार–बार किया जा रहा है।

उक्त के कम में दिनांक 02.02.2026 को ग्राम अरूवा खादर तहसील मांट जनपद मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या–139 रकबा 1.0110 हे0 की स्थलीय आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

02/02/26

लेखपाल

तहसीलदार 02/02/2026

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

(T.C)2

 ANNEXURE - R/4

11

पत्रांक : वाई.ई.ए. / भूलेख / त0–MKS / 758 / 2026
दिनांक 16/04/26

सेवा में,

सक्षम अधिकारी / विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

विषयः–मौजा अरूआ खादर परगना मॉट तहसील मॉट जनपद मथुरा की भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 1.0110 हे0 के संबंध में प्राप्त आपत्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक वाई.ई.आई.डी.ए. / सक्षम अधिकारी / 1096 / 2026 दिनांक 23.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मौजा अरूआ खादर परगना मॉट तहसील मॉट जनपद मथुरा की भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 1.0110 हे0 के संबंध में वादी भगवान सिंह उर्फ रामबीर पुत्र श्री चुन्नी लाला द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत पत्र दिनांक 12.01.2026 के कम में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है, जो निम्नवत् हैः–

1. वादी का निजी कथन है, किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2. इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम अरूवा खादर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिसूचना संख्या 3877 / 77–4–2001–3(एन) / 2001 दिनांक 22.08.2001 के द्वारा अधिसूचित ग्राम है। उक्त खसरा संख्या 139 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आता है। प्राधिकरण के समक्ष अधिकारी की बिना अनुमति के निर्माण/भू–प्रकृति परिवर्तन आदि किया जाना उ0प्र औ0 वि0 अधिनियम–1976 का उल्लघंन है। उक्त के सापेक्ष निर्गत नोटिस दिनांक 01.01.2026 नियमानुसार निर्गत किया गया है।
3. ग्राम अरूवा खादर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिसूचना संख्या 3877 / 77–4–2001–3(एन) / 2001 दिनांक 22.08.2001 के द्वारा अधिसूचित ग्राम है।
4. ग्राम अरूवा खादर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिसूचना संख्या 3877 / 77–4–2001–3(एन) / 2001 दिनांक 22.08.2001 के द्वारा अधिसूचित ग्राम है। प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर भू–प्रकृति परिवर्तन आदि किया जाना उ0प्र औ0 वि0 अधिनियम–1976 का उल्लघंन है।
5. वादी का निजी कथन है, किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उक्तानुकम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

तहसीलदार

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर – 201308 (उ0प्र0)
दूरभाष न0: 0120 – 2395153 फैक्स न0: 0120– 2395150

मनोज कुमार सिंह
तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

TC2

Gmail **Abhay Tayal <tayalabhay6783@gmail.com>**

Reply on behalf of the Respondent No.4 "YEIDA" in O.A No. 434 of 2025 pending before the Hon'ble NGT, New Delhi.

Abhay Tayal <tayalabhay6783@gmail.com> 22 April 2026 at 11:04
To: "NK Goswami Advocate, Supreme Court" <thendca@gmail.com>

Sir,
PFA reply on behalf of the Respondent No.4 "YEIDA" in O.A No. 434 of 2025 titled as Akshay Tiwari Vs. Director Defence Officials Welfare Organization and Ors. pending before the Hon'ble NGT, New Delhi.
Kindly treat the mail as service of reply in the captioned matter.

Regards:
Abhay Kumar Tayal
Advocate on Record,
Supreme Court of India; & Corporate Counsel
M: (91) 9719047830 / 7017640986
E: tayalabhay6783@gmail.com

Reply of R4.pdf
3137K